(3)

न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी

(सूचना अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी शिवप्रसाद एम. नकाते (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 31/2020 अपील सू.प्र.

उनवान

श्री पुखराज रांका निवासी आर0 के0 कॉलोनी आसीन्द तहसील आसीन्द —अपीलार्थी **बनाम** लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी करेडा —प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) अधिनियम 2005

उपस्थित :– अपीलार्थी उपस्थित
प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि

निर्णय

दिनांक : 04-08-2020

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी करेडा के विरूद्ध दिनांक 13.07.2020 को प्राप्त होकर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क का पोस्टल आर्डर सं. 46 एफ 877374 राशि 10.00 रू0 के साथ एक आवेदन दिनांक 08.06.2020 को लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी करेडा को प्रस्तुत किया।

प्रस्तुत अपील इस कार्यालय में दिनांक 27.07.2020 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रत्यर्थी को सूचना पत्र जारी किया गया तथा प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी करेडा द्वारा पत्रांक/रीडर/सूचना/2020/664 दिनांक 30.07.2020 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना के संबंध में उपखण्ड अधिकारी करेडा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार –

1. बिन्दु सं. 01 से लगायत 08 की सूचना अपीलार्थी को कार्यालय के पत्रांक/रीडर/सूचना/2020/664 दिनांक 30.07.2020 से उपलब्ध करायी गयी जिसकी पावती रसीद अपीलार्थी ने स्वयं दिनांक 31.07.2020 को हस्ताक्षर करके दी है।

अपील में अंकित सूचना के संबंध में अपीलार्थी को प्रत्यर्थी द्वारा सूचना प्रेषित कर दी जाने से अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है।

आदेश आज दिनांक 04-08-2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर जारी किया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
भीलवाड़ा